

दिनांकः 01/09/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गौकशी के मुकदमें में वांछित चल रहा

25 हजार का इनामी बदमाश घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा

व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपदीय पुलिस द्वारा गौकशी की घटनाओं को रोकने व गौकशी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा इसी क्रम मे दिनांक 31/08/2023 की रात्रि में जब थाना फतेहपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 01 मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्ति ग्राम जयसिंघा मोड की तरफ आने वाले हैं, जिनके पास अवैध असलहा भी है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस ग्राम जयसिंघा मोड पर चेकिंग करने लगी तो जयसिंधा मोड की तरफ आ रहे 01 मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्तियों को वही सदिंग्ध व्यक्ति लगने पर रूकने का इशारा किया तो दोनो व्यक्ति पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करके ग्राम जयसिंघा के जंगल की तरफ भागे। थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी। फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया तथा इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश का नाम वजीर पुत्र नजीर निवासी ग्राम गंदेवडा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर है। बदमाश वजीर उपरोक्त 25 हजार का इनामी अभियुक्त है जो थाना रामपुर मनिहारन से मु0आ0सं0 217/2023 धारा 3,5क,8 गौवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0, थाना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर से गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा है तथा थाना फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त भी है। इसके अलावा इस पर जनपद व उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न थानो में गंभीर धाराओ में करीब 20 मुकदमे दर्ज है। घायल/गिरफ्तार बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 155/2023 धारा 307 भादवि व 3/25/27 शस्त्र अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त वजीर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.08.2023 को मैने व मेरे साथी ने रामपुर मनिहारान के वृन्दावन पैलेस के पास गौकशी की थी। मुझे पता था कि पुलिस मेरी तलाश कर रही है। चूकिं हम जनपद सहारनपुर व उत्तराखण्ड राज्य के बार्डर पर गौकशी करते हैं तो मैने व मेरे साथी ने सोचा कि पूर्व की भांति योजनाबन्ध तरीके से बार्डर के किसी गांव से पशु को बार्डर पार (उत्तराखण्ड) ले जाकर कटान कर के बेच देंगे। इसलिए किसी पशु की तलाश मे ही हम जयसिंघा गांव की तरफ जा रहे थे कि अचानक से पुलिस टीम सामने से आ गई। हमने भागने की फिराक मे पुलिस टीम पर फायर कर दी।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वजीर पुत्र नजीर निवासी ग्राम गंदेवडा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी-


- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल

आपराधिक इतिहास

- 1. मु०अ०सं० २१० / २०१२ धारा ३,५,८ गौवध निवा० अधि० व ११डी पशु क्रूरता अधि०, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 2. मु०अ०सं० २८२ / २०१४ धारा ३,५क,८ सीएस एक्ट व ११६ पशु क्रूरता अधि०, व ४६७,४६८ भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 3. मु०अ०सं० ३१६ / २०१४ धारा ११०जी दं०प्र०सं०, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 4. मु०अ०सं० २३२ / २०१५ धारा १०२ दं०प्र०सं० व ४०६,४११,४२० भादवि, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर
- 5. मु०अ०सं० १५५ / २०१९ धारा ०८ / २० एनडीपीएस एक्ट, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 6. मु०अ०सं० २३७ / २०१९ धारा ३,५क,८ गौवध निवा० अधि० व ३ / ११ पशु क्रूरता अधि०, थाना फतेहपुर, सहारनपुर
- 7. मु०अ०सं० २३८ / २०१९ धारा ३०७ भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 8. मु०अ०सं० २३९ / २०१९ धारा ४१ / १०२ दं०प्र०सं० व ४१४ भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 9. मु०अ०सं० २४१ / २०१९ धारा ३ / २५ शस्त्र अधि०, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 10. मुं0अ०सं० ४७८ / २०१९ धारा २ / ३ गैंगस्टर एक्ट, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 11. म्०अ०सं० ३६० / २०२० धारा ४ / २५ शस्त्र अधि०, थाना गागलहेडी, जनपद सहारनपुर
- 12. मु०अ०सं० 170 / 2021 धारा 3,5 गौवध निवा० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० व 379 भादवि, थाना को० देहात, जनपद सहारनपुर
- 13. मु०अ०सं० 138 / 2022 धारा 60(1) आबकारी अधि०, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 14. मु०अ०सं० २०८ / २०२२ धारा ३,५,८ गौ० संरक्षण अधि० (उत्तराखण्ड), थाना बसन्त विहार, जनपद देहरादून
- 15. मु०अ०सं० २६७ / २०२२ धारा ३,५,८ गौ० संरक्षण अधि० (उत्तराखण्ड), थाना बसन्त विहार, जनपद देहरादून
- 16. मु०अ०सं० २७७ / २०२२ धारा ३,५,८ गौ० संरक्षण अधि० (उत्तराखण्ड), थाना बसन्त विहार, जनपद देहरादून
- 17. मु०अ०सं० ४६ / २०२३ धारा ३०७,४८२,४८३ भादवि व ३,५,८ गौवध संरक्षण अधि०(उत्तरखण्ड), थाना पटेलनगर, जनपद देहरादून
- 18. मु०अ०सं० ८४ / २०२३ धारा १० यूपी गुण्डा एक्ट, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 19. मु०अ०सं० २१७ / २०२३ धारा ३,५कं,८ गौवध निवारण अधि० व ३ / ११ पशु क्रूरता अधि०, थाना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर
- 20. मु०अ०सं० २५१ / २०२३ धारा ३०७,३४ भादवि, थाना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर
- 21. मु०अ०सं० 155 / 2023 धारा 307 भादवि व 3 / 25 / 27 शस्त्र अधि०, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

- 1. थाना प्रभारी श्री प्रमोद कुमार, थाना फतेहपुर, सहारनपुर
- 2. वरि0 उ0नि0 श्री रईस अहमद थाना फतेहपुर, सहारनपुर
- 3. उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी थाना फतेहपुर, सहारनपुर
- 4. है0 का0 610 विपन राणा थाना फतेहपुर, सहारनपुर
- 5. का० 1345 सुशान्त कपिल थाना फतेहपुर, सहारनपुर
- 6. का० २४९९ गौरव कुमार थाना फतेहपुर, सहारनपुर
- 7. का० २४०४ अमित कुमार थाना फतेहपुर, सहारनपुर





वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा विद्युत तार चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 250 मीटर विद्युत तार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2023 को वादी श्री रंजन मिश्रा अपर अभियन्ता 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र मानकमऊ जिला सहारनपुर द्वारा अज्ञात चोरो द्वारा इद्राकालोनी के पीछे पीर के सामने जंगल ग्राम शेखपुरा क्षेत्र से 11000 के0वी0 का तार चोरी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 294/23 धारा 136 भारतीय विधुत अधि0 पंजीकृत किया गया।

विषष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल के कुशल नेतृत्व में उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी । दौरान चैकिंग मुखबिर की सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण- 1. आजाद पुत्र शहीद नि0 शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर व 2. जुल्फिकार पुत्र यामीन निवासी शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर व 2. जुल्फिकार पुत्र यामीन निवासी शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर के 250 मीटर केबिल 11000 के0वी0 सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग नशे के आदि हैं, जिस कारण हमने इन्द्राकालोनी के पीछे जंगल से बिजली का तार बेचने के लिये चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगणो का नाम व पताः-

- 1. आजाद s/o शहीद नि0 शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात स0पुर
- 2. जुल्फिकार s/o यामीन निवासी शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1.प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल को0देहात सहारनपुर
- 2. उ0नि0 गुलाब तिवारी को0देहात सहारनपुर
- 3. का० ७९६ प्रदीप कुमार को०देहात सहारनपुर
- 4. का० २१०७ रवि राठी को०देहात जिला सहारनपुर